



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2026

विषय:-जनपद गाजीपुर के राजकीय महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद गाजीपुर के निष्प्रयोज्य भवन के ध्वस्तीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-335/17फ/नि0नि0अ0/2026-27, दिनांक 02.09.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजीपुर के राजकीय महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद गाजीपुर के निष्प्रयोज्य भवन के ध्वस्तीकरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रुपये 33.52 लाख (रुपये तैंतीस लाख बावन हजार मात्र) बट्टे खाते में डाले जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

(रूपया लाख में)

क्र.सं.	तोड़े जाने वाले भवन का नाम	निर्माण वर्ष	पुस्तंकित मूल्य	स्कैब मूल्य	ध्वस्तीकरण की लागत	मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि (5-6)	बट्टे खाते में डाले जाने वाली धनराशि (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महिला चिकित्सालय, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर	1975	34.65	3.46	2.33	1.13	33.52

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) विभाग द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 व लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली-1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) की नीलामी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर की जायेगी तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के नियम व शर्तों के अधीन ही कार्यवाही की जायेगी।

(4) विभाग द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि को ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलबे के निस्तारण से प्राप्त वास्तविक धनराशि को अपने स्तर से समायोजन कर लिया जायेगा।

2- अतएव उपर्युक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
3. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(लेखा) अनुभाग-2/लोकनिर्माण अनुभाग-5/गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।